न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)
पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 1326/2017

प्रार्थी :–

सरकार जरिये तहसीलदार,
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. शोभाराम पुत्र लुम्बाराम
2. मंगलाराम पुत्र लाबूराम
3. ढगलाई पुत्री लाबूराम
4. हनुमानराम पुत्र चौथाराम
5. भरतराम पुत्र चौथाराम
6. मनोहरलाल पुत्र चौथाराम
7. श्रवणराम पुत्र चौथाराम
8. गोरीदेवी पत्नि चौथाराम
9. मगदू पत्नि गोपाराम

सभी जातियान जाट निवासीगण कूड़ तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

10. सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग उपखण्ड भोपालगढ़/पीपाड़ शहर ।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार समाप्त करने बाबत्**

## निर्णय

दिनांक : 20.01.2020

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार समाप्त करने के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम कूड़ में स्थित जलदाय विभाग की पानी की टंकी (जी.एल.आर.)खसरा नम्बर 41/2 रकबा 4.18 बीघा में से 0.02 बिस्वा भूमि सार्वजनिक टंकी बनी हुई है जो ग्रामवासी कूड़ के पेयजल व पशुधन के सार्वजनिक उपयोग में आ रही है । उक्त टंकी का निर्माण जलदाय विभाग द्वारा करीब 10 वर्ष पूर्व करवाया गया था। पटवारी कूड़ के प्रतिवेदन अनुसार उक्त टंकी पद सं. 1 में वर्णित भूमि में बनी हुई है जो अप्रार्थी सं. 1 से 9 की सहखातेदारी भूमि है। टंकी निर्माण उक्त भूमि के तत्कालीन खातेदार ने बिना वैध कार्यवाही व प्रकिया के बना दी गई है जो रकबा 0.02 बिस्वा भूमि में बनी हुई हैं, किन्तु अप्रार्थी सं. 10 द्वारा आज दिनांक तक इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही नही की है, फलस्वरूप खातेदार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत शर्त भंग की है । उक्त सार्वजनिक उपयोग हेतु राजकीय मद से बनी टंकी के उपयोग में लिये जा रहे भू–भाग खसरा नम्बर 41/2 रकबा 4.18 बीघा मे से नक्शे में मार्क बिन्दु ABCD के मध्य का रकबा 02 बिस्वा जो वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 से 9 की खातेदारी भूमि नही रहा है जो सरकार द्वारा काश्त पर दिये जाने की शर्तो का उल्लघंन किया । फलस्वरूप 0.02 बिस्वा भूमि अप्रार्थी सं. 1 से 9 की खातेदारी खत्म कर जमीन राजकीय घोषित की जावें। वादग्रस्त आराजी ग्राम कूड़ तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित होने से प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का हैं । इस्तदुआ प्रार्थी निम्न प्रकार से है– अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम कूड़ की खातेदारी भूमि खसरानम्बर 41/2 रकबा 4.18 भूमि में से

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

मार्क ABCD के मध्य का रकबा 02 बिस्वा के खातेदारी अधिकार के अप्रार्थी सं. 1 से 9 के समाप्त कर उक्त आराजी रकबा राज किये जाने के आदेश फरमावें । अन्त अनुतोष जो वादी हो फरमाये जावें ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 3, 4, 5 व 9 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी, अप्रार्थी सं. 10 का सम्मन बाद तामिल प्राप्त व अप्रार्थी सं. 1, 2, 6, 7, 8 स्वयं उपस्थित। जिन्होने अपना जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम कूड़ में खसरा नम्बर 41/2 रकबा 4.18 बीघा में से 02 बिस्वा भूमि सार्वजनिक पानी की टंकी बनी हुई है । उक्त कृषि भूमि हमारी संयुक्त खातेदारी की है। हमारी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 41/2 रकबा 4.18 बीघा में से 02 बिस्वा भूमि को राज्य सरकार के खाते में दर्ज कर लिया जावें तो हमें कोई आपत्ति नही है।

इसी प्रकार हल्का पटवारी कूड़ ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम कूड़ के खसरा नम्बर 41/2 रकबा 4.18 बीघा में 2 बिस्वा भूमि पर पानी की टंकी बनी हुई है जो सार्वजनिक उपयोग में काम आ रही है साथ ही एक पानी की खेळी बनी हुई है जो पशुओ के पानी पीने का काम आ रही है । जो कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ काम आ रही है । उक्त 2 बिस्वा भूमि राजस्थान सरकार में दर्ज किया जाना उचित बताया है।

अतः हमने बहस पक्षकारान सुनी जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम कूड़ के खसरा नम्बर 41/2 रकबा 4.18 बीघा भूमि राजकीय भूमि घोषित की जाती है जिसे राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर अमलदरामद करें । हल्का पटवारी मौका फर्द व नजरी नक्शा को निर्णय का अंग समझा जावें । सहायक अभियन्ता पीएचईडी पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि नियमन हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश आज दिनांक 20.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner